

दिव्यांग व्यक्ति द्वारा रियायती कार्ड बनाने के लिए आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज

जमा कराये I

1. रियायती प्रमाण पत्र - - 2 फोटो कापी
2. विकलांग प्रमाण पत्र - - 2 फोटो कापी
3. आयु प्रमाण पत्र - - 1 फोटो कापी

(पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, एफिडेविट या Govt. Notification में बताये गये दस्तावेज जोकि DD/MM/YYYY के प्रारूप में हो)

4. आधार कार्ड - - 1 फोटो कापी
5. पते का प्रमाण पत्र - - 1 फोटो कापी

(वोटर ID कार्ड Govt. Notification में बताये गये दस्तावेज)

6. स्टैम्प साइज फोटो - - 2 फोटो
7. प्रार्थना पत्र (फॉर्मट Annexure-A)- - 2 कापियों में

(नीचे लिखे अधिकारी को निम्न पते पर भेजें या उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करायें)

(वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नयी दिल्ली)

सूचना :

अ) जिन व्यक्तियों के रियायती प्रमाण पत्र दिल्ली मंडल के अंतर्गत आने वाले अस्पताल के हैं अथवा यहाँ के निवासी हैं उनके ही प्रार्थना पत्र लिए जायेंगे ।

ब) सभी दस्तावेज स्वयं अथवा अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिये ।

प्रार्थना पत्र

सेवा में,

व. मंडल वाणिज्य प्रबंधक,
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि मैं अपना ई टिकटिंग कार्ड बनाना चाहता हूँ विवरण निम्न है :-

क्र संख्या	विवरण	
1	नाम	
2	पिता पिता का नाम/	
3	जन्म तिथी (दिन, महिना, वर्ष)	
4	रियायती प्रमाण पत्र का अस्पताल	
5	रियायती प्रमाण पत्र में डाक्टर का नाम	
6	रियायती प्रमाण पत्र में डाक्टर का रजिस्ट्रेशन संख्या	
7	रियायती प्रमाण पत्र बनने की तिथि	
8	पता	
9	आधार कार्ड संख्या	
10	मोबाइल नंबर	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इससे पहले मैंने किसी भी अन्य रेलवे में अथवा उत्तर रेलवे, दिल्ली मण्डल में आवेदन नहीं किया है।

दिनांक _____

प्रार्थी के हस्ताक्षर

The following documents to be deposit for Photo ID Card for Divyangjan

1. Concession Certificate -- 2 Photo Copy
2. Disability/Handicapped Certificate -- 2 Photo Copy
3. Age Certificate -- 1 Photo Copy
(PAN Card, School Certificate, Affidavit or as directed in Govt. Notification mentioned parameter i.e. DD/MM/YYYY)
4. Adhar Card -- 1 Photo Copy
5. Address Proof -- 1 Photo Copy
(Voter ID Card or documents or directed in Govt. Notification for this purpose)
6. Stamp size Photo -- 2 Nos.
7. Application (Format Annexure-A) -- 2 Nos.
(Sr Divisional Commercial Manger/C, DRM's Office, Northern Railway, State Entry Road, New Delhi)

NOTE

- a) Only those applicants who are having Concession Certificates issued by hospitals within jurisdiction of Delhi Division or are resident within the jurisdiction of Delhi Division/Northern Railway shall apply at Concession Cell/Delhi Division.
- b) All Photo Copies must be self attested.
- c) All Photo Copies must be legible clear and readable including their seals.

.....

APPLICATION FOR ISSUING PHOTO ID CARD FOR THE PERSON WITH DISABILITIES

To,

Sr Divisional Commercial Manager/C,
 DRM Office, N. Rly.
 State Entry Road,
New Delhi

R/Sir,

It is requested that I want to apply for Photo ID Card and my particulars are as under:-

S.No.	Particulars	
1	Name	
2	Father/Husband's Name	
3	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
4	Hospital's Name of Railway Concession Certificate	
5	Name of Doctor in Concession Certificate	
6	Registration No. of Doctor	
7	Date of Issue of Concession Certificate	
8	Address	
9	Adhar Card No.	
10	Mobile No.	

I declare that I have applied in other neither Railway nor Northern Railway earlier Delhi Division.

Date: _____

Signature of Applicant